



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा  
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस  
राजस्व वाद संख्या :- 75/2015

**वादी**

श्रीमति तुलछी देवी पत्नी  
रामचन्द्र जाति जाट, निवासी  
भूतावा बेरा जैतीवास रोड़  
बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा  
जिला जोधपुर

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. किशनलाल पुत्र पाबूराम
2. महेन्द्र पुत्र लादूराम
3. खेमाराम पुत्र लादूराम
4. राजूराम पुत्र लादूराम
5. विकास पुत्र लादूराम
6. नाथूराम पुत्र पाबूराम
7. रामचन्द्र पुत्र पाबूराम
8. जोधाराम पुत्र पाबूराम  
जातियान जाट (खदाव)  
निवासीगण भूतावा बेरा  
जैतीवास रोड़, बिलाड़ा  
तहसील बिलाड़ा, जिला  
जोधपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार बिलाड़ा

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट**

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुई। वकूलाय फरीकेन उपस्थित। वकील वादी गणपतलाल चौधरी इस वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। वकील वादी इस वाद को जरिये विद्वावल खारिज करवाना चाहते हैं। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट जरिये विद्वावल के खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरै इजलास आज दिनांक 28.06.2017 को सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा